536

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१३ निगरानी R. 2107 - I/13

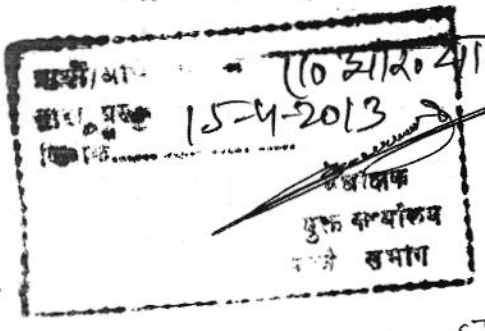

15-4-2013

315
15/4/2013

०१. फकीर मोहम्मद पिता गुलशेरखॉं
०२. अलियारखॉं पिता गुलशेरखॉं
०३. चन्दाबाई पिता गुलशेरखॉं समस्त निवासीगण ग्राम बुलगढ़ी तहसील व जिला मन्दसौर (म०प्र०)

.........आवेदकगण

विरूद्ध

०१. बशीरखॉं पिता गुलशेरखॉं
०२. छम्माबाई पिता गुलशेरखॉं
०३. हीराबाई पिता गुलशेरखॉं
०४. फातमाबाई विधवा गुलशेरखॉं समस्त निवासीगण ग्राम बुलगढ़ी तहसील व जिला मन्दसौर (म०प्र०)

.............अनावेदकगण

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय जिला मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक ३६/स्व०निगरानी/१२.१३ में पारित आदेश दिनांक ३/अ-६/११-१२ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है। 10/01/12

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के सर्वथा प्रतिकूल एवं प्राकृतिक न्याय के सिधान्तों के विपरीत होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

०२. यह कि आवेदक ने तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय मन्दसौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी परन्तु उनके द्वारा दिनांक १०.०१.१२ को क्षेत्राधिकार न होने के कारण निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस दे दी गई इसके पश्चात आवेदकगण ने माननीय अपर कलेक्टर महोदय मन्दसौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की व उनके द्वारा दिनांक ३१.०१.१३ को निगरानी यह कह कर वापस लौटा दी गई कि संहिता में हुए संशोधन अनुसार निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से वापस लौटा दी गई जो आवेदक ने दिनांक ०६/०३/१३ को प्राप्त की इस प्रकार उक्त निगरानी अन्दर अवधि मान्य की जाना न्याय हित में आवश्यक है।

3

XXIX(a)-BR(H)-11

536

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2107-एक/13 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	